आयकर अधिनियम, 1961 को **आयकर अधिनियम, 2025** की धारा 536 के प्रावधान के अनुसार दिनांक **01.04.2026** से निरस्त कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, **आयकर अधिनियम, 2025** की धारा 397(3)(f) के अनुसार, कर कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता किसी विवरणी में त्रुटि पाए जाने पर, निर्धारित प्रपत्र एवं सत्यापन की विधि में, संबंधित प्राधिकारी को सुधार विवरणी प्रस्तुत कर सकता है, बशर्ते कि यह उस कर वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर हो जिसमें उक्त विवरणी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है (धारा 200, आयकर अधिनियम 1961 या उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्गत)।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, **वित्तीय वर्ष 2018–19 (तिमाही 4)**, **वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 (तिमाही 1 से 4)** तथा **वित्तीय वर्ष 2023–24 (तिमाही 1 से 3)** की सुधार विवरणियाँ केवल **31 मार्च 2026** तक ही स्वीकार की जाएँगी। इसके पश्चात, ये विवरणियाँ **31.03.2026 के बाद समय-सीमा से परे (Time Barred)** हो जाएँगी और **01.04.2026 से स्वीकार नहीं की जाएँगी।**

अतः सभी **कर कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों** से अनुरोध है कि वे आवश्यक कार्यवाही समय पर करें और यदि उपरोक्त अवधियों से संबंधित कोई सुधार लंबित है, तो उसे **31.03.2026** से पूर्व ही दाखिल कर दें, क्योंकि उसके पश्चात उक्त अवधियों की फाइलिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा।